


राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक एफ 7(366) परि/नियम/मु./एचएसआरपी/2017/20998 जयपुर, दिनांक: 09-08-11
आदेश


राज्य में वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स योजना के क्रियान्वयन में माननीय उच्च न्यायालय में एस.बी.सिविल रिट संख्या 3182/2018 में दिनांक 21.05.2018 को पारित निर्णय की अनुपालना में इस विभाग द्वारा मैसर्स सेलेक्स टैक्नोलॉजिज प्रा.लि. के पक्ष में जारी कार्यालय आदेश संख्या एफ 7(366) परि/नियम/मु./एचएसआरपी/2017/46626-46639 दिनांक 26.10.2017 को निरस्त किया जाता है। उक्त आदेशों के संदर्भ में दिनांक 11.10.2017 को निष्पादित संविदा अनुबंध भी स्वतः समाप्त माना जाये।


(राजेश यादव)

परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव

क्रमांक एफ 7(366) परि/नियम/मु./एचएसआरपी/2017/20999-21011 जयपुर, दिनांक: 9/8/15
प्रतिलिपि:- निम्नालिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक को प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित अंक की प्रति इस विभाग को भिजवाने की व्यवस्था करें।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री जी, राजस्थान।
3. निजी सचिव, यातायात मंत्री जी, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव (गृह एवं यातायात), राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव वित्त, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं पदेन शासन सचिव।
7. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
8. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।
9. विधि एवं न्यायिक विभाग, जयपुर।
10. समस्त मुख्यालय अधिकारी, परिवहन विभाग, जयपुर।
11. श्री संजय सिंधल, प्रोग्रामर के विभाग की वेबसाइट की अपडेटिंग हेतु।
12. समस्त प्रादेशिक/अतिरिक्त प्रादेशिक/ जिला परिवहन अधिकारी।
13. मैसर्स सेलेक्स टैक्नोलॉजिज प्रा.लि. ह्यूट स्ट्रीट बिल्डिंग, 86 -ए, तोपासिया रोड, 702-कोलकाता, 700046 वेस्ट बंगाल।


अपर परिवहन आयुक्त (कर)